भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2776

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई का विस्तार

2776. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देशभर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लाभार्थी परिवारों के खाद्यान्न पर होने वाले व्यय में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो खाद्य पदार्थ के उपभोग की विविधता और कैलोरी लेने में हुए सुधार का ब्यौरा क्या है;

(घ) मुद्रास्फीति के समय घरेलू खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में इस योजना द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है; और

(ड.) दादरा और नगर हवेली के इस संबंध में जिला और श्रेणी-वार संकेतक क्या हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने गरीब लाभार्थियों के वित्तीय भार को दूर करने और गरीबों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय व्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है और यह पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। पीएमजीकेएवाई सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। पीएमजीकेएवाई का उद्देश्य 75% तक ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 81.35 करोड़ व्यक्ति हैं।

...2/-

पीएमजीकेएवाई के तहत, चिह्नित लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं, जिसमें "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनमें से किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के माध्यम से निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

पीएमजीकेएवाई के तहत, चिह्नित लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप निःशुल्क खाद्यान्न की मद में राशन कार्ड धारकों को मासिक आधार पर काफी बचत होती है।

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में पीएमजीकेएवाई को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के तहत लागू किया जा रहा है, जिसके तहत सब्सिडी के समतुल्य नकद राशि सीधे पात्र परिवारों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है ताकि वे खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकें।
